कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

कार्यालय–आदेश

राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत श्रीमान निदेशक, मा.शि.राज.बीकानेर के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/2017–18 दिनांक 22.02.2018, 25.02.2018 एवं 28.02.2018 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2013 में अस्थाई रूप से चयनित शिक्षा विभाग को आवंटित कनिष्ठ सहायकों द्वारा निदेशालय स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से जिला एवं विद्यालय का चयन किये जाने के उपरान्त संलग्न सूची अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में **कनिष्ठ सहायक** के रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन **पे मेट्रिक्स के लेवल–05** में **प्रोबेशनर ट्रेनी** (परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में **02 वर्ष की अवधि** के लिए नियमानुसार देव नियम मानदेय **14600/– (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ)** प्रतिमाह अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र कमांकः प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.03.2006 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत होगी एवं वित्त विभाग के आदेश एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017/जयपुर दिनांक 30.10.2017 के रूल्स 16 के तहत **नियुक्ति तिथि से नियमानुसार पेंशन अंशदान कटौती होगी।**

सम्बंधित संस्था प्रधान को इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगें:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त की जावे। यदि अभ्यर्थी चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो आचरण की जांच का इंतजार नहीं किया जावे एवं अभ्यर्थी से सदाचरण संबंधी शपथ पत्र (Undertaking) प्राप्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे। बाद पुलिस सत्यापन अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जाएगी। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें । पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगें, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
4. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांकः एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08-04-2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें ।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैद्यता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जा रही हैं। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थियों से नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगें।

......2/....

6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
7. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार प्रमाण पत्र जो विवाह के पश्चात का बना हुआ है प्रस्तुत करे, तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाए।
8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **23-03-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्यत होगा । उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों की उक्त नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या–1693/2017 राजस्थान लोक सेवा अयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

(सोहन सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, सिरोही

क्रमांकः जिशिअ/मा/सि/स्थापन–2/2018/118 दिनांक **08-03-2018**

<u>प्रतिलिपिः</u>– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिच, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
6. उपनिदेशक, माध्यमिक, शिक्षा विभाग, पाली
7. सम्बंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/ बालिका....................
8. सम्बंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
10. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, सिरोही

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

क्रमांकः–जिशिअ/मा/सि/स्थापन–2/2018/118 दिनांकः 8.03.2018

कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II)

क्र.स.	मेरिट नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	3709	धीरज कुमार	मुला राम	मुकाम पोस्ट केर, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही	SB	10/01/1993	OBCM	राउमावि कोजरा, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही
2	4027	महेन्द्र कुमार	प्रेमाराम	जावाल रोड, पोसालिया, तहसील शिवगंज जिला सिरोही	BC	03/05/1990	OBCM	राबामावि पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
3	5444	अशोक कुमार	सदाराम मेघवाल	रामदेव मंदिर के पास, खाडियावास, शिवगंज जिला सिरोही	SC	25/02/1991	SCM	रामावि केराल, तहसील श्सिवगंज जिला सिरोही
4	5446	प्रवीण कुमार मीणा	प्रहलाद राम	गांव केसरपुरा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही	ST	20/06/1991	STM	रामावि लखमावा छोटा, तहसील शिवगंज जिला सिरोही
5	5787	किशन कुमार मेघवाल	वीरा राम मेघवाल	मु.वलदरा पो.सरतरा वाया कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही	SC	20/09/1993	SCM	रामावि फलवदी, तहसील व जिला सिरोही

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

कार्यालय–आदेश

राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत श्रीमान निदेशक, मा.शि.राज.बीकानेर के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/2017–18 दिनांक 22.02.2018, 25.02.2018 एवं 28.02.2018 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2013 में अस्थाई रूप से चयनित शिक्षा विभाग को आवंटित कनिष्ठ सहायकों द्वारा निदेशालय स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से जिला एवं विद्यालय का चयन किये जाने के उपरान्त संलग्न सूची अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में **कनिष्ठ सहायक** के रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन **पे मेट्रिक्स के लेवल–05** में **प्रोबेशनर ट्रेनी** (परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में **02 वर्ष की अवधि** के लिए नियमानुसार देव नियम मानदेय **14600/– (अक्षरे रूपये चौदह हजार छःसौ)** प्रतिमाह अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र कमांकः प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.03.2006 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत होगी एवं वित्त विभाग के आदेश एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017/जयपुर दिनांक 30.10.2017 के रूल्स 16 के तहत **नियुक्ति तिथि से नियमानुसार पेंशन अंशदान कटौती होगी।**

संम्बंधित संस्था प्रधान को इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगें:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त की जावे। यदि अभ्यर्थी चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो आचरण की जांच का इंतज़ार नहीं किया जावे एवं अभ्यर्थी से सदाचरण संबंधी शपथ पत्र (Undertaking) प्राप्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे। बाद पुलिस सत्यापन अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जाएगी। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें । पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगें, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
4. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांकः एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08-04-2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें ।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैद्यता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जा रही हैं। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थियों से नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगें।

......2/....

6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
7. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार प्रमाण पत्र जो विवाह के पश्चात का बना हुआ है प्रस्तुत करे, तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाए।
8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **23-03-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्यत होगा । उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों की उक्त नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या–1693/2017 राजस्थान लोक सेवा अयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं **डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय एवं अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम केप्टन गुरूवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्यधीन रहेगी।**

उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई अधार पर रहेगी।

(सोहन सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, सिरोही

क्रमांकः जिशिअ/मा/सि/स्थापन–2/2018/119 दिनांक **08-03-2018**

<u>प्रतिलिपिः</u>– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
6. उपनिदेशक, माध्यमिक, शिक्षा विभाग, पाली
7. सम्बंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/ बालिका...................
8. सम्बंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
10. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, सिरोही

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

क्रमांकः–जिशिअ/मा/सि/स्थापन–2/2018/119 दिनांकः 8.03.2018

कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II)

क्र.स.	मेरिट नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	0	लादूराम	तिकमा राम	गांव पोस्ट कैलाशनगर वाया जावाल तहसील शिवगंज जिला सिरोही	SB	15/01/1994	-	राउमावि वाण, तहसील शिवगंज जिला सिरोही

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, सिरोही